पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

संदर्भ: PGCIL/R/E/20/00413 दिनांक: 02.11.2020

सेवा में,
श्री रत्नेश कुमार
निवासी - दलापुर,
पोस्ट- गोहीलाव, जिला-भदोही
उत्तरप्रदेश-221402
मो० 8081 775 710

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके ऑनलाइन पत्र दिनांक 07.10.2020 के संबंध में

महोदय,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 07.10.2020 को प्राप्त हुआ है | मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	कल्याणपुर पोस्ट नीगतपुर तहसील सदर जिला मिर्जापुर में हाई टेंशन (पावरग्रिड) का खंबा लग रहा है किनके किनके खेत में लग रहा है या लगा है उनके खेत का खाता संख्या क्या है या उनका नाम क्या है , उनकी जानकारी साझा करें	राजपुर तहसील राजातालाब वाराणसी में भी किन किन के खेत में खम्भा लग रहा है उनकी भी जानकारी साझा करें		लाइन निर्माण के दौरान हुई क्षति हेतु प्रत्येक किसान को प्राप्त मुआवज़ा राशि, तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण, सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती तथा इसके अतिरिक्त मांगी गयी जानकारी विभाग द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है, जिसके कारण उसे प्रदान करना सम्भव नहीं है	
02.	क्या जिनके खेत में टावर (खम्भा) लगा है उनको मुआवज़ा मिला है अगर मिला तो किनके नाम पर मिला है		
04.	अभी तक कितने किश्तों में किन किन के नाम पर मुआवजा और कितना आया है इसकी सत्यापित कॉपी देने की कृपा करें		
03.	अगर एक खेत में कई साझेदार है तो सभी की सहमति जरूरी है या सिर्फ एक, दो लोगों की सहमति से ही खम्भा लगा दिया जाता है		भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा के अनुसार, भूमि स्वामी से हाईटेंशन टावर के स्थापना पूर्व अनुमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है	
05.	कल्याणपुर नीगतपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के खसरा संख्या 239 में कितने साझेदारों की सहमति से खम्भा लगाया गया है, उनके नाम और कितने किश्तों में कितने पैसे विभाग की तरफ से दिए गए है बताने की कृपा करें		
06.	अगर किसी के खेत में पावरग्रिड का खंबा लग रहा है, तो क्या उसके परिवार के सदस्य को पावरग्रिड में नौकरी मिल सकती है ? अगर मिल सकती है तो उसके लिए क्या करना होगा		इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है	

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:
श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

राणा प्रताप 02-11-20

राणा प्रताप
महाप्रबंधक (पी०ई०एस०एम०)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ